

उद्योग रत्न पुरस्कार हेतु कार्य योजना

क्र. सं.	दिनांक	कार्य
1	27 मार्च, 2017	सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को योजना की पुनः जानकारी देते हुए योजना बाबत सभी उद्योग संघों/दस्तकार संघों एवं प्रमुख उद्यमियों को अवगत कराते हुए प्रेस विज्ञप्ति एवं अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु निर्देशित करवाना ।
2	5 अप्रैल, 2017	15 अप्रैल, 2017 तक प्रमुख समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों में विज्ञापन प्रकाशित करवाकर योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाना ।
3	1 मई, 2017 से 30 मई, 2017	पुरस्कार हेतु प्रविष्टियाँ जिला उद्योग केन्द्र एवं कार्यालय, आयुक्त उद्योग में जमा करवाई जा सकती हैं । यह प्रावधान योजना के पैरा 9 में अंकित है ।
4	6 जून, 2017	जिला उद्योग केन्द्र में प्राप्त सभी आवेदन इस कार्यालय में पहुँचाना ।
5	15-16 जून, 2017	प्रारम्भिक चयन समिति की बैठक आयोजित कर 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाले उद्यमियों का चयन करना ।
6	27-28 जून, 2017	राज्य स्तरीय राजस्थान उद्योग रत्न चयन समिति की बैठक का आयोजन ।
7	4 जुलाई, 2017	चयनित उद्यमियों एवं प्रतीक्षा सूची के उद्यमियों का बायो-डाटा आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होने बाबत सत्यापन के लिए पुलिस विभाग को प्रेषित करना ।
8	8 अगस्त, 2017	पुलिस सत्यापन के पश्चात् राज्य स्तरीय चयन समिति की पुनः समीक्षा बैठक का आयोजन ।
9	16 अगस्त, 2017	पुलिस सत्यापन के पश्चात् पुरस्कार राशि के भुगतान का बिल कोषालय से पारित करवाना ।
10	17 सितम्बर, 2017	विश्वकर्मा दिवस पर राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस समारोह का आयोजन कर पुरस्कार वितरित करवाना ।



श्रीमती वसुन्धरा राजे
राजनीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



उद्योग विभाग, राजस्थान



श्री राजपाल सिंह शेखावत
राजनीय मंत्री
उद्योग, आपराधिक भारतीय, डी.एम.आई.सी.
एवं राजकीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार

राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार योजना-2016 के अन्तर्गत आवेदन आमंत्रित है

कुल पुरस्कार	14
पुरस्कारों का विवरण	(I) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की प्रत्येक श्रेणी में निम्न चार क्षेत्र में एक-एक पुरस्कार 1. Best in Growth of Business in terms of turnover. 2. Best Business Practices-includes compliance in Environment Parameters, adoption of energy conservation practices, adoption of new technology, measures to increase labour productivity and finally employee welfare. 3. Best Women Entrepreneur 4. Best turn around and revival of sick industry. कुल 12 पुरस्कार - उपरोक्त 4 श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई के लिए (II) राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हस्तशिल्पी एवं बुनकर को एक-एक पुरस्कार (कुल 2 पुरस्कार)
पुरस्कार	एक लाख रु. नकद, प्रशस्ति पत्र एवं शॉल
पात्रता की शर्तें	1. एम. एस. एम. ई. डी. एक्ट 2006 के अन्तर्गत ई. एम. पार्ट II या उद्योग आधार प्रमाण पत्र (UAM) धारक राजस्थान राज्य की इकाईयां जो विगत 3 वर्षों से निरन्तर उत्पादनरत रहे हों 2. भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त राजस्थान राज्य के हस्तशिल्पी एवं बुनकर 3. आवेदक किसी भी आपराधिक मामले में लिप्त नहीं होना चाहिए
सम्पर्क सूत्र	आवेदन फार्म एवं अन्य विवरण के लिए विभागीय वेबसाइट www.industries.rajasthan.gov.in , सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र या आयुक्त, उद्योग कार्यालय, उद्योग भवन, जयपुर पर सम्पर्क कर सकते हैं।
आवेदन जमा कराने का स्थान	व्यक्तिगत या डाक द्वारा सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में जमा करा सकते हैं।
आवेदन करने की अन्तिम तिथि	30 मई, 2017
आवेदन कैसे करें	विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड करके या जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय/आयुक्त उद्योग कार्यालय से आवेदन फार्म की प्रति प्राप्त कर दिये गये निर्देशानुसार आवेदन भरकर अनुलग्नकों के साथ जमा करावें।

अधिक जानकारी हेतु आप सम्पर्क कर सकते हैं :

• कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 0141-2227727 • जिला उद्योग केन्द्र (संबन्धित)

Website: www.industries.rajasthan.gov.in



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
साधारण

साधिकार प्रकाशित

जिल्द 68 आश्विन 14, गुरुवार, शके 1938-अक्टूबर 6, 2016 अंक 27
Vol. 68 Asvina 14, Thursday, Saka 1938-October 6, 2016 No. 27

R.N.I. No. RAJ BIL/2000/1717
POSTAL REGD. No. J.P.C./3588/02/03-05
RAJASTHAN GAZETTE
Ordinary

Published by Authority

विषय-सूची

भाग 1 (क)-(1) नियुक्तियां : (2) विशिष्ट पद नियुक्तियों (पोस्टिंग्स) : (3) स्थानांतरणों : (4) व्यक्तिगत शक्तियों का प्रदान करना : (5) छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञापित।
ग-उपखण्ड (1) राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

(ख)-(1) महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें : (2) कानून के अलावा अन्य नियम : (3) प्रेस विज्ञापित : (4) रागितियों के विवरण और जनहित के अन्य प्रलेख जो सरकार सार्वजनिक सूचना के लिए प्रकाशित करना चाहती है : (5) राजस्थान विधान सभा : (6) राजस्थान हाईकोर्ट और राजस्थान राजस्व बोर्ड की विज्ञापित।
उपखण्ड (1) राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।
भाग 5 (क) केन्द्रीय विधान मंडल के अधिनियम।
(ख)- भारत सरकार की कानूनी विज्ञापितों और आज्ञायें आदि जो प्रकाशित की जाती हैं।

भाग 2 (क)-(1) विभागाध्यक्षों की विज्ञापितियां : (2) आवश्यकता होने पर एक शिक्षा सम्बन्धी अनु-ग्रहक भी हो सकता है।
(ग)- जनमत प्राप्त करने के लिये प्रकाशित केन्द्रीय विधान मंडल के विधेयक।

(ख)-(1) गलतखेदार, राजस्थान की विज्ञापितियां और परिपत्र।
(घ)-(1) भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञापितियां
(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये निर्णय।
भाग 3 (क)-(1) राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक : (2) प्रवर रागितियों के विवरण।
भाग 6 (क)- नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञापितियां आदि।

(ख)- सरकार द्वारा या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अपनी सहज शक्तियों के प्रयोग में, बनाये जाने को प्रस्तावित प्रारूप नियम, आनियम, उप-नियम और आज्ञायें।
(ख)- जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोगों के संबंधी विज्ञापितियां आदि।
(ग)- ग्राम पंचायत के संबंधी विज्ञापितियां आदि।

भाग 4 (क)- राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।
भाग 7-(1) विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेन्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक और निजी विज्ञापन, (2) न्यायालय की सूचनाएं, (3) संघीय लोक सेवा आयोग और (4) राजस्थान लोक सेवा आयोग आदि की सूचनाएं।

EXTRAORDINARY ISSUES OF THE WEEK

The following Extraordinary Gazettes were issued during the week :-

(1) 30-9-2016 (2) 03-10-2016 (3) 4-10-2016 (4) 4-10-2016 (5) 4-10-2016 (6) 4-10-2016
(7) 4-10-2016 (8) 4-10-2016 (9) 4-10-2016 (10) 4-10-2016 (11) 4-10-2016 (12) 4-10-2016
(13) 4-10-2016 (14) 4-10-2016 (15) 4-10-2016 (16) 6-10-2016

भाग 1 (ख)
महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
आदेश

जोधपुर, सितम्बर 24, 2016

संख्या सामान्य/4/2016/1235 :- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय एतद्वारा तत्काल प्रभाव से, नीचे कॉलम संख्या 3 में अंकित न्यायालय के न्यायाधीश को कॉलम संख्या 2 में अंकित सेशन न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए अपर सेशन न्यायाधीश नियुक्त करता है :-

क्र.सं.	सेशन न्यायालय का नाम	न्यायालय का नाम	बैठक का सामान्य स्थान
1	2	3	4
1.	सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर	विशिष्ट न्यायाधीश (सी.बी.आई.) संख्या 2, जोधपुर	जोधपुर

1	2	3	4
2.	सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर	विशिष्ट न्यायाधीश, (सी.बी.आई.) संख्या 3, जयपुर	जयपुर
3.	सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर	विशिष्ट न्यायाधीश, (सी.बी.आई.) संख्या 4, जयपुर	जयपुर
4.	सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर	विशिष्ट न्यायाधीश, (सी.बी.आई.) संख्या 5, जयपुर	जयपुर
5.	सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर	विशेष न्यायाधीश, जयपुर बम काण्ड मुकदमात, जयपुर	जयपुर
6.	सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर	विशेष न्यायालय, एन.डी.पी.एस. प्रकरण, जयपुर	जयपुर
7.	सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर	विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण संख्या 1, जयपुर	जयपुर
8.	सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर	विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण संख्या 2, जयपुर	जयपुर
9.	सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर	विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण संख्या 3, जयपुर	जयपुर
10.	सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर	विशेष न्यायालय, राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012, जयपुर	जयपुर
11.	सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर	अतिरिक्त सेशन न्यायालय, महिला अत्याचार प्रकरण संख्या 2, जयपुर	जयपुर

उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 10 में वर्णित अपर सेशन न्यायालयों में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ही प्रकरण अद्वारित किये जायेंगे।

आदेशानुसार,
सतीश कुमार शर्मा,
रजिस्ट्रार जनरल।

उद्योग (गुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 16, 2016

राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार योजना

संख्या प.1(14)उद्योग/गुप-2/2014 :- 1. प्रस्तावना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र द्वारा राज्य के औद्योगिक, सामाजिक, आर्थिक एवं व्यापारिक उत्थान में काफी सहयोग प्रदान किया जा रहा है। राज्य की एमएसएमई तथा वृहद इकाइयों के द्वारा निरन्तर प्रगति की जा रही है और प्रगति के साथ अपने उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार कर बाजार की मांग के अनुरूप नवीन उत्पाद तैयार कराकर राज्य के निर्यात में भी वृद्धि की जा रही है। आयत के सबस्टीट्यूट उत्पाद भी राज्य में निर्मित किये जा रहे हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र इकाइयों के द्वारा राज्य के औद्योगिक वातावरण को बनाने एवं नये उद्यमियों को प्रोत्साहित करने में विशेष योगदान दिया जा रहा है। अतः लम्बे समय से राज्य के औद्योगिक विकास एवं आर्थिक उत्थान में सहयोग करने वाले उद्यमियों को पुरस्कृत/सम्मानित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

2. योजना का नाम

योजना का नाम "राजस्थान उद्योग रत्न" पुरस्कार योजना होगा। योजना वित्तीय वर्ष 2016-17 से लागू होगी।

3. उद्देश्य

राज्य में औद्योगिक रत्न पुरस्कार योजना लागू किये जाने का मुख्य उद्देश्य राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को तीव्र गति दिया जाना है एवं इन तीन श्रेणियों के सर्वश्रेष्ठ उद्योगों को पुरस्कृत करना जिससे कि यह अन्य उद्योगों के प्रेरणा स्रोत बनें व उद्यमियों में एक नई जागृति का संचार होगा, जिससे वे अपने उत्पादों की गुणवत्ता/क्षमता/उत्पाद विकास एवं प्रचारण संरक्षण, जैसे बिजली पानी आदि की बचत, के लिए भी प्रोत्साहित होंगे साथ महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना एवं राष्ट्रीय स्तरीय राज्य के सर्वश्रेष्ठ बुनकर एवं हस्तशिल्पियों को सम्मानित किया जा सके।

4. पुरस्कार की श्रेणी

राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार राज्य में स्थापित एमएसएमई एक्ट, 2006 में एक्नोलैजमेंट/उद्योग आधार प्राप्त समस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र में कार्यरत उद्यमों को प्रत्येक श्रेणी के लिए पृथक-पृथक राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उद्योग रत्न अवार्ड वर्ष के पूर्व के वर्ष में वरर मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित गुनवत्ती एवं हस्तशिल्पियों को भी क्रमशः राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार तथा राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार से योजनान्तर्गत पुरस्कृत किया जाएगा।

अनुलग्न-ए के अनुसार सूक्ष्म उद्योग श्रेणी में 4 वर्गों में प्रत्येक में 1-1, लघु उद्योग श्रेणी में 4 वर्गों में प्रत्येक में 1-1 तथा मध्यम उद्योग श्रेणी के 4 वर्गों में प्रत्येक में 1-1 उद्योगों की प्रतिवर्ष इस पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा। इस प्रकार प्रति वर्ष कुल 12 उद्योगों को राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त 1 हस्तशिल्प को तथा 1 बुनकर को क्रमशः हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार तथा बुनकर रत्न पुरस्कार से प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाएगा।

इस प्रकार कुल पुरस्कार हेतु चयनितों की संख्या 14 होगी।

एक बार उक्त पुरस्कार प्राप्त करने के बाद कोई उद्यम इस हेतु भविष्य में पुनः योजनान्तर्गत आवेदन नहीं कर सकेगा।

5. पात्रता

राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार प्राप्त करने के लिए राज्य में एमएसएमई एक्ट, 2006 में उद्योग आधार प्राप्त समस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी में स्थापित एवं विगत 3 वर्षों से निरन्तर कार्यरत उद्यम पात्र होंगे। ऐसा कोई भी उद्यम पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगा जो कि अपने उत्पादन के आरम्भ के बाद या वर्तमान में कभी भी किसी कारणवश कम से कम 6 माह तक बंद रहा हो और उसके बाद पुनः चालू हो गया हो, परन्तु पुनः चालू होने के 3 वर्ष पश्चात् ऐसा उद्यम पुनः आवेदन करने के लिए पात्र हो जायेगा। यह प्रावधान रुग्ण घोषित इकाइयों के लिए लागू नहीं होगा। आर्टीजन्स एवं बुनकरों की दशा में वस्त्र मंत्रालय भारत द्वारा द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित एवं पुरस्कृत आर्टीजन्स एवं बुनकर ही अवार्ड हेतु पात्र होंगे।

6. पुरस्कार हेतु चयन

पुरस्कार हेतु राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापित प्रकाशित कराकर आवेदनपत्र आमन्त्रित किये जायेंगे। जिला स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच जिला उद्योग केन्द्र स्तर पर की जाकर महाप्रबन्धक अपनी अभिशंषा के साथ आवेदन पत्र मुख्यालय को प्रेषित करेंगे। आवेदन पत्रों के अनुसार पुरस्कारों के चयन हेतु 2 स्तरीय चयन समितियों का गठन किया जायेगा। इन समितियों का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार होगा :-

राजस्थान उद्योग रत्न प्रारम्भिक चयन समिति

- | | |
|--|------------|
| 1. आयुक्त/निदेशक, उद्योग | अध्यक्ष |
| 2. निदेशक, एमएसएमई विकास संस्थान, 22 गोदाम, जयपुर का प्रतिनिधि | सदस्य |
| जो उपनिदेशक उद्योग के स्तर से कम न हो। | |
| 3. स्माल स्कूल इण्डस्ट्रियल एसोसिएशंस के पदाधिकारी | सदस्य |
| (अध्यक्ष या सचिव दोनों में से एक ही व्यक्ति चयन समिति का सदस्य हो सकेगा) | |
| 4. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर(शहर), जोधपुर एवं उदयपुर | सदस्य |
| 5. संयुक्त निदेशक उद्योग के स्तर से कम न हो। | सदस्य सचिव |
- यह समिति पुरस्कार हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करेगी एवं जांच पश्चात् संलग्न सूची (अनुलग्न-डी) के अनुसार सभी प्राप्त आवेदन पत्रों पर अंक आवंटित करेगी। न्यूनतम 60 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाली इकाइयों को अपनी अभिशंषा के साथ राज्य स्तरीय चयन समिति को प्रेषित करेगी। आर्टीजन्स एवं बुनकरों की दशा में वस्त्र मंत्रालय भारत द्वारा द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित एवं पुरस्कृत आर्टीजन्स एवं बुनकर ही अवार्ड हेतु चयनित होंगे।

राज्य स्तरीय राजस्थान उद्योग रत्न चयन समिति

- | | |
|--|------------|
| 1. प्रमुख शासन सचिव, एमएसएमई/उद्योग | अध्यक्ष |
| 2. संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, उद्योग | सदस्य |
| 3. प्रमुख निदेशक, श्रेयो लि. | सदस्य |
| 4. निदेशक, एमएसएमई, विकास संस्थान, भारत सरकार | सदस्य |
| 5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिडबी, उमराव कॉम्प्लेक्स, एमआई रोड, जयपुर | सदस्य |
| 6. राज्य उद्योग अथवा उद्योग मंत्र के पदाधिकारी -2 | सदस्य |
| (अध्यक्ष या सचिव दोनों में से एक ही व्यक्ति चयन समिति का सदस्य हो सकेगा) | |
| 7. आयुक्त, उद्योग | सदस्य सचिव |

यह समिति पुरस्कार हेतु प्रारम्भिक चयन समिति की अभिशंषा उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार हेतु उद्योगों का चयन करेगी, जिसका अंतिम अनुमोदन माननीय उद्योग मंत्री, राजस्थान सरकार से कराया जायेगा। उद्योगों के राजस्थान उद्योग रत्न हेतु प्राप्त उद्योग पुरस्कार देने से पूर्व युनिट द्वारा सर्वप्रथम करवाकर प्रमाण पत्र लिया जायेगा कि वह उद्योगों को प्रकार के अपराध में लिप्त नहीं है।

7. पुरस्कार हेतु चयन का आधार

राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार हेतु राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणियों के उत्कृष्टतम उद्योगों का अनुलग्न ए में उल्लेखित पत्रों में उनके द्वारा किये गये उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर अनुलग्न डी में दिये गये मापदण्डों (Parameters) एवं इन मापदण्डों में दी गयी मार्किंग के आधार पर समितियों द्वारा चयन किया जायेगा। आर्टीजन्स एवं बुनकरों की दशा में वस्त्र मंत्रालय भारत द्वारा द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित एवं पुरस्कृत आर्टीजन्स एवं बुनकर ही अवार्ड हेतु चयन किया जाएगा।

8. **पुरस्कार की राशि एवं मद**
राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार में चयनित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमों को पृथक-पृथक 1 लाख रु. तथा आर्टीजन्स एवं बुनकरों को भी 1 लाख रुपये प्रत्येक को नकद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र एवं शाल प्रदान कर सम्मानित किया जायेगा।
9. **पुरस्कार की अवधि एवं वितरण**
राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार प्रत्येक वर्ष के लिए प्रदान किया जायेगा। इस हेतु आवेदन पत्र 1 मई से 30 मई के मध्य स्वीकार किये जायेंगे एवं पुरस्कार MSME दिवस/राजस्थान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में अथवा किसी उचित दिवस पर प्रदान किया जायेगा।
10. **आवेदन की प्रक्रिया**
राज्य में उत्पादनरत उद्यम अपना आवेदन संलग्न प्रारूप (अनुलग्न-बी) में प्रस्तुत करेंगे। उद्यम अपना आवेदन पत्र जिले में कार्यालय महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र में निर्धारित तिथि तक व्यक्तिशः अथवा ऑन लाईन प्रस्तुत कर सकेंगे। ऑन लाईन आवेदन करने पर मूल आवेदन पत्र (हार्ड प्रति) डाक के माध्यम से भी प्रेषित करना होगा। बुनकरों एवं आर्टीजन्स को अपना आवेदन (अनुलग्न-सी) में प्रस्तुत करना होगा।
11. **प्रशासनिक विभाग**
योजना का क्रियान्वयन कार्यालय आयुक्त, उद्योग द्वारा किया जायेगा एवं उद्योग (ग्रुप-2) विभाग योजना का प्रशासनिक विभाग होगा जिसे योजना में आवश्यक संशोधन/ परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

Annexure-A**Category**

- I. **Micro Industrial Sector**
 1. Best in Growth of Business in terms of turnover.
 2. Best Business practices-includes compliance in Environment Parameters, adoption of energy conservation practices, adoption of new technology, measures to increase labour productivity and finally employee welfare.
 3. Best Women Entrepreneur (As per annexure-E)
 4. Best turn around and revival of sick industry.
- II. **Small Industrial Sector**
 1. Best in Growth of Business in terms of turnover.
 2. Best Business practices-includes compliance in Environment Parameters, adoption of energy conservation practices, adoption of new technology, measures to increase labour productivity and finally employee welfare.
 3. Best Women Entrepreneur (As per annexure-E)
 4. Best turn around and revival of sick industry.
- III. **Medium Industrial Sector**
 1. Best in Growth of Business in terms of turnover.
 2. Best Business practices-includes compliance in Environment Parameters, adoption of energy conservation practices, adoption of new technology, measures to increase labour productivity and finally employee welfare.
 3. Best Women Entrepreneur (As per annexure-E)
 4. Best turn around and revival of
- IV. **Rajasthan Bunkar Ratna Award**- Award will be given to the outstanding Bunkars, who are the recipient of National Awards by Ministry of Textiles, Govt.
- V. **Rajasthan Handicraft Ratna Award**- Award will be given to the outstanding Artisans, who are the recipient of National Awards by Ministry of Textiles, Govt.

Please affix one passport size photo and attach two extra in a plastic cover. Write your name on the back of the extra photo

- [illegible]

9. Date of Commencement of production/Services.

10. Name of Products manufactured (Enclosed Photos/Leaflets also): Enclose as Annexure-3

11. Production for the last 3 preceding years (Rs. in lacs.)

Item(s)	Year

Enclose CA Certificate as Annexure-4

12. Turnover for the last 3 preceding years (Rs. in lacs.)

Item(s)	Year

Enclose CA Certificate as Annexure-5

13. Exports for the last 3 preceding years (Rs. in lacs.)

Item(s)	Year

Enclose CA Certificate as Annexure-6

14. Have you ever been awarded Quality Award earlier by Govt. of India/Govt. YES/NO
if yes, please give the name and year of Award. Enclose copy of certificate

Enclose as Annexure-7

15. Please give an affidavit on non-judicial stamp paper duly attested by
Notary that you have cleared your income tax/excise/customs/VAT dues.

Enclose as Annexure-8

Please give an affidavit on non-judicial stamp paper duly attested by
Notary that Enterprise/entrepreneur is not involved in any Economic
or other offence for which legal action/enquiry is pending

Enclose as Annexure-9

Part-II

(Progress & Achievements)

(in last 3 preceding years)

Items	I	II	III
Original investment in Plant & Machinery/Equipment (Rs. in lakh) cumulative upto 31 st March			
No. of Employees as on end of last year 31 st March			
Value of Annual Sales of Products/Services/Job Work (Rs. in lakh)			
Net Profit (after taxes) (Rs. in lakh)			
Export-Direct/ (Rs. in lakh)			
R & D Expenditure (Rs. in lakh)			
(i) Investment in Plant & Machinery & Equipment for R & D			
(ii) Recurring R & D expenditure			

Enclose C.A. Certificate in original for each year as annexure- 10

I. Employment

1. Please give the details including total no. of the employees year wise during the year 3 preceding years and attach documentary proof & certified by Chartered Accountant.
Enclose as Annexure-11
2. Whether any reward scheme introduce for employees for innovation (leading quality circle/leading to productivity)? If yes, give details & expenditure thereof with supporting documents.
Enclose as Annexure-12
3. Whether any training provided to staff/official to upgrade their skill. Please give details and the documentary evidence with expenditure.
Enclose as Annexure-13
4. Employee Welfare Measures. Give details with supporting document with expenditure also.
(i) ESI
(ii) CPF Bonus/other
Enclose as Annexure-

II. Technology

1. Please give details whether technology involved for innovation is through innovate efforts or R&D Efforts(attach the certificate/documentary evidence)
Enclose as Annexure-15
2. Innovation Efforts. Please give details and attach the documentary evidence.
 - I. Product Development
 - II. Process Development
Enclose as Annexure-16
3. Use and Choice of Technology
 - a. Whether the technology employed is developed with own R&D?
 - b. If yes, give details of how have developed the same and how it is superior to conventional. Give details with Expenditure thereof and attach documentary proof. Technology obtained from NRDC/CSIR/Any other R&D Institutions/imported. Give details and attach documentary proof.
 - c. Conventional. Give details and attach documentary proof,
Enclose as Annexure-17

III. Environment & Pollution Control

1. Please give detail whether enterprise has adopted any procedure for disposal of waste generated during manufacturing. Please attach documentary evidence.
Enclose as Annexure-18
2. Whether innovation conserves energy? If yes, give details with supporting documents.
Enclose as Annexure-19
3. Have you taken measures for pollution control? If yes, give details with supporting documents. (If measure is not applicable, enclose copy of NOC/exemption notification from the competent authority.)
Enclose as Annexure-20
4. Whether Enterprise implemented Energy Conservation Techniques. Please give details with documentary evidence.
Enclose as Annexure-21
5. Do you adopt. Safety Measure. Please given details with supporting documents.
Enclose as Annexure-22

IV. Research & Development

1. Details of Research and Development. Please explain whether R&D is product development of process/design development. What exactly is novel about your R&D?
Enclose as Annexure-23
2. Give the details of Recurring R&D expenditure for last three years certified by CA
Enclose as Annexure-24
3. Qualification as on 31st March of the year of the R&D personnel associated with achievements made by him/her in the R&D (attach certificate of qualification)
Enclose as Annexure-25
4. Please give detail, whether technology involved in R&D is a completely new technology or new combination of existing technology (attach the certificate/documentary evidence)
Enclose as Annexure-26
5. Details of patents/designs/copyrights obtained or applied for as on 31st March of the year (attach the certificate/documentary evidence)
Enclose as Annexure-27

V. Management System

1. Whether Enterprise has adopted 5S system? Please give details with documentary evidence.
Enclose as Annexure-28
2. Whether Enterprise has implemented Standard Operating Procedures (SOPs)? Please give details with documentary evidence.
Enclose as Annexure-29

3. Whether Enterprise has implemented Enterprise Resource Planning (ERP) system? Please give details with documentary evidence. Enclose as Annexure-30
4. Whether Enterprise implemented POKA - Yoke instruction? Please give details with documentary evidence. Enclose as Annexure-31
5. Whether Enterprise implemented Bar Code System? Please give details with documentary evidence. Enclose as Annexure-32

VI. Quality and Standards

1. Standardization-

- i. Has enterprise obtained BIS mark/International standard/CE/UL/ equivalent (DGQA, RDSO, GMP/BEE etc.) Enclose as Annexure-33
Please give details and attach the documentary evidence.
- ii. Whether innovated product is equivalent any other standards, Enclose as Annexure-34
please give details and attach the documentary evidence.
- iii. Whether innovated product confirm to enterprise's/user's specification. Please give details and attach the documentary evidence. Enclose as Annexure-35
2. Is your enterprise certified for ISO: 9000/14000/18000/22000/HACCP/GMP/other equivalent Certification? If yes, give details and attach documentary proof, (for the period 2013-14, 14-15, 15-16) Enclose as Annexure-36

VII. Taxes Paid in last 3 preceding years.

(Rs. in Lacs)

	III	II	I
Import Duty/Customs Duty			
Central Excise Duty			
VAT			
Service Tax			

CA Certificate enclose as Annexure-37

VIII. Other

1. Future Plan/Vision (Vision to develop the enterprise through increase of (i) Production(ii)Quality & (iii) Market. Please give details and attach the documentary evidence. Enclose as Annexure-38
2. Please give write up of not more than 300 words about yourself, your enterprise and the products(s) manufactured/service(s) rendered by indicating your achievements to justify as to why your application deserves to be considered for the award. Enclosure as Ann.-39

Note: Please enclose all the documents valid for the period from 1st April to 31st March (in last 3 preceding years)

All the claims should be supported with documents/reports/certificates etc.

I certify that the above information furnished by me is correct. I undertake to refund the certificate, if awarded to me, in case it is ever found that the information furnished above was incorrect. Further I may also be liable for any action under the law of tax law for any false declaration.

Place

Date

SIGNATURE OF THE ENTREPRENEUR

SEAL OF THE ENTERPRISE

ANNEXURE-C

Photograph

DETAIL FORM for Bunkars & Artisans Ratna Award

Name :
 Father's Name :
 Address :
 Mobile :
 Email Address :
 Website :
 Qualification :
 Date of Birth :

Artisans ID /Bunkar ID Card :
 Addhar card No :
 Nature of Art : Description of Arts in 150 Words (Pl. enclose self-
 attested separate sheet with rubber stamp
 Achievements :
 Contribution for the
 Development of the Art :
 National Award

1. Year for section in National Award (Attach self certified copy)
2. Art, for which the National Awards is given

Signature & Seal

Annexure-D

Parameters/Criterions for the selection of Rajasthan Udhog Ratna

Award

I & II Micro/Small Industrial Sector

1. Best in Growth of Business in Terms of Turn over
2. Best Women Entrepreneur

Particular	Maximu m Marks	Micro		Small	
		Particular of Marks	Marks	Particular of Marks	Marks
1	2	3	4	5	6
Turnover in Award year	20	Upto Rs. 25 lacs	2.5	Upto Rs. 50 lacs	2.5
		Rs. 25 lacs upto Rs. 50 lacs	5.0	Rs. 50 lacs upto Rs. 75 lacs	5.0
		Rs. 50 lacs upto Rs. 75 lacs	7.5	Rs. 75 lacs upto Rs. 1 Cr.	7.5
		Rs. 75 lacs upto Rs. 1 Cr.	10.0	Rs. 1 Cr. lacs upto Rs. 1.50 Cr.	10.0
		1 Cr. upto 1.25 Cr.	12.5	1.50 Cr. upto 1.75 Cr.	12.5
		1.25 Cr. upto 1.50 Cr.	15	1.75 Cr. upto 2 Cr.	15
		Above 1.50 Cr.	20	Above 2 Cr.	6
Increase in Turnover	30	Upto 25% increase	6	Upto 25% increase	12
		Above 25% Upto 50% increase	12	Above 25% Upto 50% increase	18
		Above 50% Upto 75% increase	18	Above 50% Upto 75% increase	24
		Above 75% Upto 100% increase	24	Above 75% Upto 100% increase	30
		Above 100%	30	Above 100%	6
Production in Award year	20	Upto Rs. 25 lacs	2.5	Rs. 25 lacs upto Rs. 50 lacs	2.5
		Rs. 25 lacs upto Rs. 50 lacs	5.0	Rs. 50 lacs upto Rs. 75 lacs	5.0
		Rs. 50 lacs upto Rs. 75 lacs	7.5	Rs. 75 lacs upto Rs. 1 Cr.	7.5
		Rs. 75 lacs upto Rs. 1 Cr.	10.0	Rs. 1 Cr. lacs upto Rs. 1.50 Cr.	10.0
		1 Cr. upto 1.25 Cr.	12.5	1.50 Cr. upto 1.75 Cr.	12.5
		1.25 Cr. upto 1.50 Cr.	15	1.75 Cr. upto 2 Cr.	15
		1.50 Cr. & above	20	Above 2 Cr.	20
Increase in Production	30	Upto 25% increase	6	Upto 25% increase	6
		Above 25% Upto 50% increase	12	Above 25% Upto 50% increase	12

1	2	3	4	5	6
		Above 50% Upto 75% increase	18	Above 50% Upto 75% increase	18
		Above 75% Upto 100% increase	24	Above 75% Upto 100% increase	24
		Above 100%	30	Above 100%	30

2. Best Business practices-includes compliance in Environment Parameters, adoption of energy conservation practices, adoption of new technology, measures too increase labour productivity and finally employee welfare.

Micro		Small	
Particular	Maximum Marks	Particular	Marks
1.	2.	3.	4.
Procedure adopted for disposal of waste generated during manufacturing.	10	Procedure adopted for disposal of waste generated during manufacturing.	10
Innovation for conserves the energy	10	Innovation for conserves the energy	10
Measures taken for pollution control	10	Measures taken for pollution control	10
Implementation of Energy Conservation Techniques.	10	Implementation of Energy Conservation Techniques.	10
Adoption of new technology	20	Adoption of new technology	20
Measures for increase labour productivity	20	Measures for increase labour productivity	20
Employees Welfare	20	Employees Welfare	20
Total	100	Total	100

3. Best turn around and revival of sick industry.

Highest turnover of the award year in the applications received.

IV & V. PARAMETERS/CRITERIONS FOR THE SELECTION OF RAJASTHAN BUNKA RATNA & HANDICRAFT RATNA AWARD

S.No.	Particular	Marks
1.	PadamVibhushan/Padam Bhushan Padma Shree	35
2.	Shilp Guru/Sant Kabir Award	25
3.	National Award	20
4.	State Award	10
5.	Achievements	10
	Total	100

अनुलग्न-ई

Women Entrepreneur (महिला उद्योगी)

- एकल महिला (Proprietary) उद्यम-100 % पर ही महिला उद्यम वर्ग में आवेदन पर विचार किया जाएगा।
- साझेदारी उद्यम-51 % से अधिक की इक्विटी महिला भागीदारों की होने पर ही महिला उद्यम वर्ग में आवेदन पर विचार किया जाएगा।
- कंपनी/लिमिटेड/प्राइवेट लि0 के उद्यम में 51% से अधिक की इक्विटी महिला की होने पर तथा तथा कंपनी की प्रगत महिला होने पर ही महिला उद्यम वर्ग में आवेदन पर विचार किया जाएगा।
नोट:- इन उद्यमों में कुल नियोजन में 10% से अधिक महिला कार्मिक एवं प्रमिकों होने चाहिए।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,
शुचि शर्मा,
विशेष शासन सचिव, उद्योग।